

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के अनपरा/पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिविजन) को भारत सरकार के आदेश संख्या ८-७७/७७-एफ.सी. दिनांक १७.०७.१९९६ एवं उ०प्र० राज्य सरकार के आदेश संख्या ७२८१/१४-२-९६-२००(२७)/१९९७ दिनांक १७.१०.१९९६ द्वारा रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक वर्ष १९९६ में २७ वर्षों के लिये (दिनांक १५.१०.१९९६ से १५.१०.२०२१ तक) ७२.९६६६ हेक्टेयर वन भूमि १३२ के.वी. विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त ७२.९६६६ हेक्टेयर वनभूमि को हिण्डालको संस्थान द्वारा पुनः २७ वर्षों हेतु (दिनांक १५.१०.२०२१ से १५.१०.२०४६ तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग एवं हिण्डालको संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक १२.०६.२० को किया गया। संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावित क्षेत्र की माँग न्यूनतम एवं अपरिहार्य पायी गयी। अतः इसका नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है।

For Hindalco Industries Limited



(Vivek Kumar)
Authorized Signatory

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अनपरा रेंज
वन प्रभाग रेणुकूट

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

उ.प्र.व.अ.
पिपरी

(एन.के. सिंह)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट